

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के आवेदक तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र में आय के स्रोत के सम्बन्ध में निम्न दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे :

<u>आय का स्रोत</u>	<u>संलग्न दस्तावेज</u>
नौकरी	नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची अथवा वेतन प्रमाण पत्र
व्यवसाय, दुकानदारी	आयकर रिटर्न (I.T.R) अथवा रिटर्न फाइल न करने की स्थिति में शपथ पत्र
पेंशन	बैंक स्टेटमेन्ट (गत 6 माह का) तथा पी0पी0ओ0 की प्रति
कृषि	कृषि भूमि की खसरा अथवा खतौनी की प्रति
मजदूरी	संलग्नक आवश्यक नहीं।